भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान ऐसी रकम प्रदान करता है जैसे कि संसद द्वारा कानून द्वारा प्रदान की जा सकती है, प्रत्येक वर्ष भारत के समेकित कोष पर लगाया जाएगा क्योंकि ऐसे राज्यों के राजस्व की अनुदान सहायता संसद द्वारा निर्धारित की जा सकती है सहायता की आवश्यकता हो सकती है, और विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग रकम तय की जा सकती है:

बशर्ते कि भारत की समेकित निधि से किसी राज्य की पूंजी और आवर्ती रकमों के राजस्व की सहायता के रूप में भुगतान किया जाएगा, ताकि राज्य को विकास की ऐसी योजनाओं की लागतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की मंजूरी के साथ राज्य द्वारा या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से उस राज्य के बाकी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए "।

वित्त पोषण पैटर्नः

यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। कवरेज:

इस योजना में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान शामिल हैं। , सिक्किम, तिमलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति की आबादी है। विशेषताएं

राज्य को देश की कुल जनजातीय आबादी को एसटी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2000- 2001 से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं के खिलाफ राज्य सरकारों को धनराशि जारी की जाती है। निधियों का एक हिस्साकक्षा छह से बारहवीं तक के एसटी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 10.1 पंचवर्षीय योजना के दौरान गोद लेने के लिए No.14011 / 9/2001-SG & C दिनांक 2.7.2002 के तहत इस विषय पर पहले परिपत्रों / पत्रों / दिशानिर्देशों के सुपर सत्र में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। जनवरी, 2008 में दिशानिर्देशों में मामूली संशोधन किया गया था।

मानव विकास सूचकांकों जैसे शिक्षा, आय सृजन, स्वास्थ्य सिंचाई, सड़कें, पुल, जंगल, जंगल गाँव, विद्युतीकरण, संचार, ग्रामीण विपणन, कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, एमएफपी का प्रसंस्करण, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास।, जल संचयन, विस्थापितों का पुनर्वास, आदिवासी भूमि प्रबंधन, खेल प्रोत्साहन। आवासीय विद्यालयों, स्कूलों के रखरखाव, आदिवासी भाषा में कुशल शिक्षण प्रदान करना, जरूरतमंदों को पोषण संबंधी सहायता: बच्चों, माताओं और बुजुर्ग लोगों, सामुदायिक अनाज भंडारण, पीने के पानी और अन्य गतिविधियों के लिए सामुदायिक कल्याणकारी संपत्ति बनाना पारंपरिक विकास आदि से अलग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत प्रावधान 275. कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। - (1) संसद द्वारा कानून के अनुसार इस तरह की रकम प्रत्येक वर्ष भारत के समेकित कोष पर वसूल की जाएगी क्योंकि ऐसे राज्यों के राजस्व का अनुदान सहायता के रूप में संसद द्वारा सहायता की आवश्यकता के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, और विभिन्न राशि विभिन्न राज्यों के लिए तय किया जा सकता है: बशर्ते कि भारत की समेकित निधि में से किसी राज्य की पूंजी और आवर्ती रकमों के अनुदानों की सहायता के रूप में भुगतान किया जाएगा, ताकि उस राज्य को विकास की ऐसी योजनाओं की लागतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। उस राज्य में अनुस्चित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या उस

राज्य में अनुसूचित जनजातियों के स्तर को बढ़ाने या उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य द्वारा भारत सरकार की मंजूरी के साथ किया गया। उस राज्य के बाकी क्षेत्रों का प्रशासन: आगे कहा गया है कि भारत के समेकित कोष से असम असम, राजधानी और आवर्ती के राजस्व के अनुदान के रूप में भुगतान किया जाएगा, जिसके समतुल्य दो वर्षों के दौरान राजस्व पर होने वाले व्यय की औसत अधिकता छठी अनुसूची के अनुच्छेद 20 के अनुच्छेद 20 में संलग्न आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में तुरंत इस संविधान के प्रारंभ से पहले और विकास की ऐसी योजनाओं की लागत उस राज्य द्वारा उस राज्य के बाकी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए भारत सरकार की मंजूरी के साथ हो सकती है।

संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं 2.7.2002 दिनांकित हैं

2.7.2002 को इस मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान राज्य योजना के लिए सामान्य केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त है।

परियोजना के दृष्टिकोण को अपनाना और मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अनुच्छेद 275 (1) के लिए पहले अनंतिम के तहत परियोजनाएं समग्र टीएसपी और वार्षिक राज्य योजनाओं का हिस्सा हैं।

प्रत्येक ITDA / MADA के लिए सूक्ष्म योजनाएं बहु-विषयक टीमों के माध्यम से तैयार की जानी हैं।

जोर क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए ताकि संसाधनों को बहुत पतला फैलाने के बजाय बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सके।

परियोजना प्रबंधन के लिए 2% धनराशि के उपयोग का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ रखरखाव और बुनियादी ढांचे के लिए धन का 10% तक खर्च का प्रावधान भी किया गया है। आनुपातिक, महिलाओं की कम से कम 30% कवरेज आवश्यक है। वार्षिक राज्य योजना के टीएसपी घटक को उनके संबंधित जनजातीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अलग बजट प्रमुख में रखा जाना है। नवीन परियोजनाओं के लिए अनुच्छेद 275 (1) के तहत पहले आबंटन के तहत कुल आवंटन में से 10% निधियों का वितरण प्रदान किया गया है, जो केवल उन्हीं राज्यों के बीच स्वीकृत किए जाएंगे जो राज्य योजना में एसटी जनसंख्या के अनुपात में टीएसपी प्रदान करते हैं। एक ही बजट हेड में राज्य और फिर पिछले तीन वर्षों में औसतन कम से कम 75% खर्च किया है प्रस्तावित गतिविधियाँ

राज्यों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गतिविधियां हो सकती हैं

[(1 ए) अनुच्छेद 244 ए के तहत स्वायत्त राज्य के गठन पर और - (i) खंड (1) के दूसरे प्रावधान के तहत (1) खंड के तहत देय कोई रकम, अगर स्वायत्त राज्य में शामिल सभी आदिवासी क्षेत्रों में शामिल हैं, तो स्वायत्त राज्य को भुगतान किया जाए, और, अगर स्वायत्त राज्य में ही शामिल हो उन आदिवासी क्षेत्रों में से कुछ, असम राज्य और स्वायत्त राज्य के बीच राष्ट्रपति के रूप में, आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। (ii) भारत की समेकित निधि से भुगतान किया जाएगा, स्वायत्त राज्य के राजस्व, पूंजी और विकास की ऐसी योजनाओं की लागतों के बराबर आवर्ती के रूप में स्वायत्त राज्य द्वारा किए जा सकते हैं। शेष असम राज्य के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वीकृति।। (२) जब तक प्रावधान संसद द्वारा खंड (१) के तहत नहीं किया जाता है, तब तक खंड के तहत संसद में प्रदत्त शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा आदेश के अनुसार प्रयोग करने योग्य होंगी और राष्ट्रपति द्वारा इस खंड के तहत किए गए किसी भी आदेश का किसी भी प्रावधान के अधीन प्रभाव होगा। संसद द्वारा: बशर्ते कि वित्त आयोग के गठन के बाद वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के अलावा राष्ट्रपति द्वारा इस खंड के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।